न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 457/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/708

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.जबरसिंह पुत्र धर्मदेवी पत्नि मोडसिंह 2.देवीसिंह पुत्र धर्मदेवी पत्नि मोडसिंह 3.फुलसिंह पुत्र धर्मदेवी पत्नि मोडसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी असाड़ा,तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.गोमतीदेवी पत्नि जालुराम 2.टीकमाराम पुत्र प्रभुराम जाति मेघवाल 3.लाधाराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट 4.अर्जूनसिंह पुत्र मांगाराम उर्फ मांगसिंह 5.करनाराम पुत्र तेजाराम 6.दरिया पत्नि लाधू 7.देशू देवी पत्नि तेजाराम 8.नरपत पुत्र लाधु 9.भटसिंह पुत्र मांगाराम उर्फ मांगसिंह जाति दरोगा निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 10.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थी एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 27.04.2026

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम **उदाणी गोदारों की ढाणी,पटवार हल्का असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 247 रकबा 3.5370 हैक्टेयर** भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम **उदाणी गोदारों की ढाणी, पटवार हल्का असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या**

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

247 रकबा 3.5370 **हैक्टेयर** भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम **उदाणी गोदारों की ढाणी, पटवार हल्का असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 247 रकबा 3.5370 हैक्टेयर** भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम **उदाणी गोदारों की ढाणी, पटवार हल्का असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 247 रकबा 3.5370 हैक्टेयर** भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम **उदाणी गोदारों की ढाणी, पटवार हल्का असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 247 रकबा 3.5370 हैक्टेयर** भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो से सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसारः-**धारा 128 सीमा विवाद**-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 28.4.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम **उदाणी गोदारों की ढाणी, पटवार हल्का असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 247 रकबा 3.5370 हैक्टेयर** भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (R.A.S.) बालोतरा

(अशोककुमार) 27/04/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27.04.2026 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 27/04/2026
बालोतरा